पीठासीन पदाधिकारी— प्रवाल दत्ता।
न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, खगड़िया।
एबीए सं0 616/2026
रंजीत यादव एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, खगड़िया।

CD- 9154
two sheets

ए.बी.ए. नंबर 616/2026

मानसी थाना कांड संख्या 116/2026

रंजीत यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य।

03.07.2026 आवेदकगण **1. रंजीत यादव, 2. संजीत यादव, 3. सुजीत कुमार, 4. अनुराग कुमार, 5. अविनाश कुमार, 6. अभिषेक कुमार एवं 7. किशन कुमार** की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शितल कुमार निराला के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है, लेकिन आवेदकगण के द्वारा एक पूरक आवेदक दाखिल कर यह कहा गया है कि इस जमानत आवेदक के दाखिल होने के बाद दिनांक–16.06.2026 को इसी सूचक के द्वारा एक और केस मानसी थाना काण्ड सं0--158/2026 आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज कर दिया गया है।**

उभय पक्षों को सुना।

अभियोजन का वाद सूचिका बबीता देवी के लिखित आवेदकन के आधार पर संक्षेप में कथन है कि दिनांक 06.05.2026 को समय करीब 5:30 बजे शाम में गांव में सूचक का पुत्र आदर्श कुमार मोहलिया बहियार से गाय–माल का चारा लेकर अपने बासा अजित मठ के निकट बांध पर आया कि अचानक बांध पर घात लगाकर रंजीत यादव, सुजीत यादव, एम0पी0 कुमार, गोहल यादव, ललन यादव, अविनाश कुमार, अभिषेक कुमार, अनुराग कुमार एवं किशन कुमार सभी एकमत हाकर गंदी–गंदी गाली–गलौज करते हुए हथियार के साथ लाठी–डंडा से अचानक मारपीट करने लगा। एम0पी0 यादव ने जान मारने की नियत से चाकू से सूचिका के पुत्र का गला काट दिया। शोरगुल सुनकर जब सूचिका के देवर चंदन यादव बचाने आये तो ललन यादव व अन्य अवैध हथियार दिखाते हुए जान मारने की नियत से लोहे की रड से सिर पर प्रहार किया जो रड सूचिका के देवर के बांये हाथ की उंगली में लगा और जख्मी हो गया। उसके बाद सभी व्यक्ति 15 बोरा मकई लूट कर भाग गया। सूचिका के पुत्र के गले में एक चांदी का लॉकेट था जो छिन लिया। सूचिका के पुत्र एवं देवर का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानसी में हुआ। सूचिका के लिखत आवेदन पर यह वाद धारा 190, 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352 बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। **Continue at Page no 2.**

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खगड़िया
सत्यमेव जयते

लगातार

03.07.2026 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण और सूचक एक ही गांव के निवासी है और राजनीति एवं स्थानीय विवाद के कारण आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा–109, 303(2) बी.एन.एस को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है, जो आवेदकगण पर लागू नहीं होता है। आवेदकगण फरार नहीं होगें। आवेदकगण उचित राशि का जमानत बांड देने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

दोनो पक्षों को सुना। मांगा गया विचारण न्यायालय अभिलेख साथ में अद्यतन कांड दैनिकी प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि सभी आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण है, जिस पर की अन्य अभियुक्तों के साथ साथ मिलकर सूचिका के पुत्र आदर्श कुमार और देवर चंदन यादव को मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के पारा–37 में जख्मी चंदन यादव एवं जख्मी आदर्श कुमार का जख्म प्रतिवेदन है, जिसके अवलोकन से पाता हूं कि जख्मी चंदन यादव के पैर एवं हाथ की उंगलु में चोट आई है, जिसे की चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी आदर्श कुमार के भी सभी जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचिका के द्वारा कहा गया है कि इस वाद के अभियुक्त एम.पी. यादव ने जान मारने की नियत से चाकू से आदर्श कुमार का गला काट दिया, जबकि आदर्श कुमार के जख्म प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उनके गले पर Laceratal wound पाया गया है। अभिलेख से यह भी पाता हूं कि आवेदकगण पर किसी को मारने का सीधा एवं स्पष्ट आरोप नहीं है, जो भी आरोप है वह अन्य अभियुक्तों पर है, जो आवेदक नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा एक अन्य मुकदमा मानसी थाना काण्ड सं0–158/26 दर्ज है, जो कि इसी वाद के सूचिका द्वारा ही उन पर मुकदमा किया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर वाद एवं प्रतिवाद दाखिल किया है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण **1. रंजीत यादव, 2. संजीत यादव, 3. सुजीत कुमार, 4. अनुराग कुमार, 5. अविनाश कुमार, 6. अभिषेक कुमार एवं 7. किशन कुमार** के तरफ से **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू**

Continue at Page no 3.

पीठासीन पदाधिकारी– प्रवाल दत्ता।
न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, खगड़िया।
एबीए सं0 616 / 2026
रंजीत यादव एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य।

<u>गातार</u>

<u>03.07.2026</u>

दाखिल करने तथा धारा 482(2) बीएनएसएस के शर्तों का पालन करने पर **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर** आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. **आवेदकगण का एक जमानतदार उसका निकटवर्ती संबंधी होगा।**
2. **आवेदकगण इस बात का बचनपत्र देंगे कि वाद के विचारण एवं अनुसंधान में सहयोग करेंगे।**

लेखापित
03/07/26
(प्रवाल दत्ता)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, खगड़िया।
दिनांक 03.07.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ★ खगड़िया ★